Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी को धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण हेतु 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 06 -11-2023

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–38/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/11/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः – **धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culvert and bridge work, Total length 35 Km within is proposed 23.715 Km length, Forest land diversion हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत।**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/वेविध/115–921/1937, दिनांक 16.08.2023 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/वेविध/115–921/2168, दिनांक 13.09.2023।

–––00–––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 – 7
2	**प्रपत्र–I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)** – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्र. –FP/CG/ROAD/151953/2022 दि. 04.05.2022 को आबंटित किया गया है।	8 – 10
3	**वन क्षेत्र का विवरण–** कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत मांग किया गया है। जिसका विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	11

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य अंतर्गत धमतरी जिले के 05 ग्रामों का 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि प्रभावित हो रहा है।	12 -- 17
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –** सर्वे ऑफ इंडिया के 1:50000 स्केल मानचित्र पर चिन्हांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	18 -- 19
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रस्तावित वन क्षेत्र को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली नवा रायपुर से प्राप्त स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) शीट क्रमांक 64/H/13/A3.64/ H/14/A1.64/H/14/ A2.64/H/14/B2.64/H/ 14/B3. 64/H/15/B1एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) शीट क्र. 64/H/09.64/H/10.64/H/13.64/H/14. 64/H/15 में चिन्हांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) बुकलेट क्रमांक 02 में संलग्न है।	20 -- 21
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि तथा 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 7062.11 लाख बतायी गई है।	22 -- 30
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के लिए प्रोजेक्ट का विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है। जिसके अनुसार मार्ग की कुल लंबाई 35.00 कि.मी. है, जिसमें 23.715 कि.मी लंबाई वनक्षेत्र से गुजर रहा है।	3[illegible]
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	32
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने तथा मांग की गई 37.973 हे. वनभूमि न्यूनतम होने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	33

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 को प्रस्ताव में संलग्न कर परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	34 -- 43
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र– अ एवं ब में) –** मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहें है।	44 -- 46
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** प्रस्तावित मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य परियोजना का कास्ट बेनीफिट अनुपात 1:8.269 है।	47 -- 54
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)/ राजस्व वन क्षेत्र –** प्रकरण में गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नही है।	55 -- 56
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा** – प्रकरण में आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नही है।	57
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के एवज में दुगुने बिगडे वनो के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन 9,66,666/– प्रति हे. की दर से वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा द्वारा तैयार किया गया है, जो उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा हस्ताक्षरित है। 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव में संलग्न है।	58 -- 98
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. चयनित क्षेत्र का वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वन मंडलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	99 – 100

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण** – मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।	101
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण** – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	102
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही** – प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	103
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र** – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रदान किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	104 — 105
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान** – प्रकरण मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण प्रस्ताव में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	106
23	**रिक्लेमेशन प्लान** – प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	107
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)** – प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	108
25	**व्यवस्थापन प्लान** – प्रस्तावित परियोजना में किसी को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	109

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रस्तावित मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित वनक्षेत्र का प्रपत्र–3 पर वनमंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल द्वारा दिनांक 11.05.2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 31.07.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	110 – 122
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	123
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** मेधा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	124 – 132
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** धमतरी जिला में 205632.00 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 6922.00 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 212554.00 हेक्टेयर वनभूमि विद्यमान है।	133
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कुल स्वीकृत 18 प्रकरणों में 588.207 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुआ है। स्वीकृत प्रकरणों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।	134 – 135
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल 01 प्रकरण में 25.147 हे. वन भूमि व्यपवर्तित किया गया है।	136
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है और ना ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	137

क्रमशः 6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	138 – 238
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	139 – 142
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व वन भूमि प्रभावित न होने संबंधी कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।	143 – 145
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि के एवज में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन दिया गया है। वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	146
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** शर्त के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा खाता में समस्त राशि जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	147
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** आवेदित वनक्षेत्र में सामान्यता उथली से मध्यम गहराई की मृदा है तथा मृदा का प्रकार सैंडी लोम है, जिसमें पेबल्स एवं ग्रेवल्स (छोटे बड़े पत्थर युक्त) है, जिसकी ऊर्वरा शक्ति न्यून है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	148
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** प्रभावित परियोजना रकबा 37.973 हे. वनभूमि में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने का आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	149
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	150
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक–2 में दर्शाया गया है।	151 – 153

क्रमशः 7

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत** — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है। अतः इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नही है। आवेदक संस्थान तथा वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	154
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** —प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	155
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc)कमियों का विवरण—** आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित सड़क के लॉगिट्यूडनल सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन का नक्शा, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोट (पृष्ठ क्र. 161 से 204) तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोट (पृष्ठ क्र. 205 से 237) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	156 -- 237

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र—4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र—5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

KRajput 20.11.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5—38/2023/10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/11/2023

प्रतिलिपिः—

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

KRajput
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग